न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 705 सन 2023
अनवान :–

1. चामरसिह पुत्र बनेसिह पुत्र बिडदसिह जाति राजपुत निवासी देईदास तहसील नोहर
2. भंवरसिह पुत्र बनेसिह पुत्र बिडदसिह जाति राजपुत निवासी देईदास तहसील नोहर
3. हरिसिह पुत्र बनेसिह पुत्र बिडदसिह जाति राजपुत निवासी देईदास तहसील नोहर
4. मोहनसिह पुत्र बनेसिह पुत्र बिडदसिह जाति राजपुत निवासी देईदास तहसील नोहर
5. बलवन्त सिह पुत्र बनेसिह पुत्र बिडदसिह जाति राजपुत निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
6. प्रेमसिह पुत्र इन्द्रसिह पुत्र बनेसिह पुत्र बिडदसिह जाति राजपूत निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. कृष्णसिह पुत्र इन्द्रसिह पुत्र बनेसिह पुत्र बिडदसिह जाति राजपूत निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. विमला पत्नी इन्द्रसिह पुत्र बनेसिह पुत्र बिडदसिह जाति राजपूत निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. हेमन्त कवंर पुत्री इन्द्रसिह पुत्र बनेसिह पुत्र बिडदसिह जाति राजपूत निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
10. सिलोचना पुत्री बनेसिह पुत्र बिडदसिह जाति राजपूत साकिन देइदास तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री भरतसिह बैनीवाल अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 24/06/2024

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 832/830 के खसरा न0 290 की 4.2240हैक भूमि राजस्व रिकार्ड में बनेसिह पुत्र बिडदसिह जाति राजपूत साकिन देईदास के नाम गैर खातेदारी दर्ज है रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 832/830 के खसरा न0 290 की 4.2240हैक भूमि वादीगण के पिता व दादा बनेसिह पुत्र बिडदसिह के नाम दर्ज है बनेसिह पुत्र बिडदसिह दिनांक 18.11.1998 को फोत हो चुके है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि हैं

वाद भूमि वादीगण को अपने पिता व दादा से विरास्तन से प्रप्त हुई बनेसिह पुत्र बिडदसिह के पिता बिडदसिह की सम्वत 2012 से पूर्व कब्जे काश्त की भूमि है किन्तु राजस्व रिकार्ड मे गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीगण वाद भूमि को बतौर खातेदर अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि सम्वत 2012 से पूर्व की नोतोड करदा भूमि है जिसे वादीगण के पूर्वज बिडदसिह ने निकाली थी तब से लेकर आज तक पूर्व में बिडदसिह एव उसके वाद बनेसिह एव वर्तमान में वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वाद भूमि वादीगण के पूर्वजों बिडदसिह के द्वारा सम्वत 2012 से पूर्व की कब्जा काश्त की भूमि है जिसके वे खातेदार काश्तकार हो चुके है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादीगण को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीगण अपने कब्जा काश्त की भूमि जो राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 832/830 के खसरा न0 290 की 4.2240हैक भूमि बनेसिह पुत्र बिडदसिह के स्थान पर वादीगण संख्या 1 ता 10 के नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 832/830 के खसरा न0 290 की 4.2240हैक भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र के अन्तर्गत आती है एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज अराजी काश्तकार टिनेन्सी एक एवं उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानों के निशुल्क खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है उपनिवेशन क्षेत्र में आने के कारण उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भुकरका के साबिका खसरा न0 324 की 16.19 बीधा भूमि सम्वत 2012 में वादीगण के पुर्वज बनेसिह पुत्र बिडदसिह के नाम से दर्ज थी तथा कब्जा काश्त में थी

रोही मौजा भुकरका के साबिका खसरा न0 324 की 16.19 बीधा भूमि गत भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा हाल खसरा न0 290 की 16.19 बीधा भूमि में परिर्वतन की जाकर पैमुद की गई थी।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15.10.1955 को लागू होने के समय से बनेसिह पुत्र बिडदसिह के कब्जा काश्त में थी इसलिये वाद भूमि वादीगण के पिता के नाम उसी समय निशुल्क खातेदारी दर्ज होनी चाहिये थी परन्तु आज तक वादग्रस्त भूमि खातेदारी दर्ज नही की गई है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हकों की धोषणा करवा कर रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 932/830 के खसरा न0 290 की 4.2240 हैक भूमि बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में न्यायायिक दृष्टान्त आरबीजे 2012 पेज 438 ,आरआरटी 2006 पेज 802 , आरबीजे 2008 पेज 42, आरबीजे 2014 पेज 1220 प्रस्तुत किये गय

पेरोकार राज तहसीलदार राजस्व नोहर ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा भुकरका की जमाबन्दी सम्वत 2012 के खाता संख्या 340 में खसरा न0 324 की 16.19 बीधा भूमि बन्नेसिह पुत्र बिडदसिह के नाम से दर्ज है एवं उक्त भूमि वर्तमान खसरा न0 290 की 16.19 बीधा मे पैमुद की गई है वर्तमान में रोही मौजा भूकरका उपनिवेशन क्षैत्र के अन्तर्गत आती है एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज अराजी काश्तकार टिनेन्सी एक एवं उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानों के निशुल्क खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है उपनिवेशन विभाग द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र/अधिसुचनाओं के अधीन खातेदारी अधिकार कीमतन पाने का अधिकारी है

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका की जमाबन्दी सम्वत 2012 के खाता संख्या 340 के साबिका खसरा न0 324 की 16.19 बीधा कुल 16.19 बीधा भूमि वादीगण के पूर्वज बनेसिह पुत्र बिडदसिह के नाम अराजी काश्त के रूप में दर्ज है जो प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2008 से 2011 ,2012 से 2015 2015 से 2017 ,2017 से 2019 एवं भू0प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दीयों से पूर्णतया साबित है उक्त कथनों को पेरोकार राज के द्वारा भी स्वीकार किया गया है।

भू–प्रबन्धक विभाग के द्वारा पैमाईश के दोरान रोही मोजा भूकरका के साबिका खसरा न0 324 की 16.19 बीधा के हाल खसरा न0 290 की 16.19 बीधा में पैमुद की गई थी जो सर्वे खसरा से पूर्णत्या साबित है तथा बीधा को हैक्टयर में परिर्वतन करने के उपरान्त वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 832/830 के खसरा न0 290 की 4.2240हैक वादीगण के पूर्वज बन्नेसिह पुत्र बिडदसिह के नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज है जो प्रस्तुत जमाबन्दी से साबित है जिसके सम्बध में पेरोकार राज ने भी स्वीकार किया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीगण के पूर्वज बन्नेसिह पुत्र बिडदसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान है जिसके सम्बध में पेरोकार राज के द्वारा भी किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही किया गया है तथा वादीगण के द्वारा प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एव वारिस प्रमाण पत्र से साबित है तथा बन्नेसिह पुत्र बिडदसिह के वारिसान के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज भी प्रस्तुत नही हुआ है।

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के अनुसार रोही मौजा भुकरका के साबिका खसरा न0 324 की कुल 16.19 बीधा भूमि सम्वत 2008 से लगातार आदिनांक तक पहले वादीगण के पूर्वज बनेसिह पुत्र बिडदसिह के कब्जा काश्त में रही तथा अब वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयों गिरदावारीयों सम्वत 2008 से 2011 , 2012 से 2015 ,2029 से 2038 , 2034 से 2037 ,2042 से 2045 , 2054 से 2057 ,2070 से 2073 से पूर्णत्याा साबित है तथा परोकार राज ने भी वाद भूमि के कब्जा काश्त के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज नही किया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 से 19 में प्रावधान किया गया था कि जो काश्तकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय जिस भूमि पर काबिज था उसे उस भूमि का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार बन्नेसिह पुत्र बिडदसिह के वाद भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व से ही कब्जा काश्त में थी अर्थात सम्वत 2012 से 2015 से पूर्व से ही वाद भूमि कब्जा काश्त में रही है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयो /गिरदावरीयों से साबित है

तहसीलदार का दायित्व था कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो 15.10.1955 को लागू हुआ था के प्रावधानों के अनुसार उस समय जो भूमि जिस काश्तकार के कब्जा काश्त में थी को राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाता यदि नही किया गया है तो काश्तकार के खातेदारी अधिकार समाप्त नही होते है वह कभी भी अपने हको की घोषणा करवा पाने के अधिकारी है

वादीगण का कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को दिनांक 15.10. 1955 को लागू किया गया था जिसमें प्रावधान था कि उक्त दिनांक के काश्तकारों को निशुल्क बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे स्वीकार योग्य नही है क्योकि वर्तमान में रोही मौजा भुकरका उपनिवेशन क्षैत्र धोषित हो चुका है इसलिये उपनिवेशन नियमों के तहत ही खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है उपनिवेशन क्षैत्र में आने वाली भूमि के खातेदारी अधिकार राज्य हकों को सुरक्षित रखने हेतु निम्न परिपत्रों के अनुसार ही दिये जाने उचित है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादीगण के पिता/पूर्वज के कब्जा काश्त की भूमि बारानी क्षेत्र में थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादीगण उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया एवं सम्तव 2012 से पूर्व के कब्जा काश्त की भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादीगण उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादीगण इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखडा नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित एव सम्वत 2012 से पूर्व के कब्जा काशत में थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसुचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनुसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन ज्ञेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आंवटियों को अस्थाई खेती पटटा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादीगण के पिता बन्नेसिह पुत्र बिडदसिह जाति राजपुत साकिन देईदास (जो सामान्य वर्ग जाति का सदस्य है) को रोही मौजा भूकरका के साबिका खसरा न0 324 हाल खसरा न0 290 की कुल 4.2240हैक भूमि जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था कि धारा 15 से 19 के प्रावधानो के अनुसार जो काश्तकार 15.10.1955 अर्थात सम्वत 2012 से 2015 की जमाबन्दी /गिरदावारीयों में बतौर काश्तकार दर्ज था एव भूमि कब्जा काश्त में थी को राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाने का प्रावधान किया गया था वादीगण के पूर्वज बनेसिह पुत्र बिडदसिह के वाद भूमि सम्वत 2012 से पूर्व से ही वाद भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही थी जो प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित है अर्थात वादीगण के पूर्वज के बन्नेसिह पुत्र बिडदसिह के वाद भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के समय कब्जा काश्त मे होने के कारण वादीगण के पूर्वज वाद भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी थे यदि किसी कारणवंश वाद भूमि बतौर खातेदार दर्ज नही करने से वादीगण के पूर्वजों के खातेदारी अधिकार समाप्त नही होते है बल्की वह कभी भी अपने हकों की घोषणा करवाकर वाद भूमि को बतौर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है किन्तु वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आने के कारण समय समय पर जारी परिपत्रों के परिपेक्ष्य में भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में न्यायायिक दृष्टान्त आरबीजे 2012 पेज 438 ,आरआरटी 2006 पेज 802 , आरबीजे 2008 पेज 42, आरबीजे 2014 पेज 1220 प्रस्तुत किये गये

उक्त दृष्टान्तों में भी प्रतिपादित किया गया है कि जो काश्तकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था कि धारा 15 ,19 के प्रावधानों के अनुसार जो काश्तकार सम्वत 2012 से 2015 या उससे पूर्व की जमाबन्दीयो/गिरदावरीयो में बतौर काश्तकार दर्ज है और भूमि कब्जा काश्त में है को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

वादीगण के पूर्वज बन्नेसिह पुत्र बिडदसिह जाति राजपूत के वाद भूमि सम्वत 2012 से पूर्व अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था के समय बतौर काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज था एव भूमि कब्जा काश्त में थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन एव प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित हो चुका है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था के समय वाद भूमि वादीगण के पूर्वज बन्नेसिह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी एव कब्जा काश्त में होना भी साबित है अर्थात वादीगण वाद भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है किन्तु वाद भूमि जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है राज्यहको के मध्यनजर वादीगण राज्य सरकार के द्वारा ऐसी भूमियो के खातेदारी अधिकारी दिये जाने के लिये समय समय पर परिपत्र/अधिसूचनाऐं जारी की गई है के परिपेक्ष्य में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबुतों के आधार पर एवं राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र/अधिसुचनाओं के परिपक्ष्य में साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 832/830 के खसरा नम्बर 290 की 4.2240हैक भूमि जो वर्तमान में भाखडा नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 4000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 800/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है मृतक बन्नेसिह पुत्र बिडदसिह का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26/06/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. चामरसिह पुत्र बनेसिह पुत्र बिडदसिह जाति राजपुत निवासी देईदास तहसील नोहर
2. भंवरसिह पुत्र बनेसिह पुत्र बिडदसिह जाति राजपुत निवासी देईदास तहसील नोहर
3. हरिसिह पुत्र बनेसिह पुत्र बिडदसिह जाति राजपुत निवासी देईदास तहसील नोहर
4. मोहनसिह पुत्र बनेसिह पुत्र बिडदसिह जाति राजपुत निवासी देईदास तहसील नोहर
5. बलवन्त सिह पुत्र बनेसिह पुत्र बिडदसिह जाति राजपुत निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
6. प्रेमसिह पुत्र इन्द्रसिह पुत्र बनेसिह पुत्र बिडदसिह जाति राजपूत निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. कृष्णसिह पुत्र इन्द्रसिह पुत्र बनेसिह पुत्र बिडदसिह जाति राजपूत निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. विमला पत्नी इन्द्रसिह पुत्र बनेसिह पुत्र बिडदसिह जाति राजपूत निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. हेमन्त कवंर पुत्री इन्द्रसिह पुत्र बनेसिह पुत्र बिडदसिह जाति राजपूत निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
10. सिलोचना पुत्री बनेसिह पुत्र बिडदसिह जाति राजपूत साकिन देइदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 705 सन 2023 निर्णय दिनांक – 24/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्रों/अधिसूचनाओं के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 832/830 के खसरा नम्बर 290 की 4.2240हैक भूमि जो वर्तमान में भाखडा नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 4000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 800/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है मृतक बन्नेसिह पुत्र बिडदसिह का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

निर्णय आज दिनांक ~~20.02.2018~~ 24/06/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)